

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक गतिविधि से तात्पर्य लोक संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु रोडमैप के विवरण के एक साधन से है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 43 और 44 के अंतर्गत विनियोग लेखे विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचित परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय, दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे हैं।

इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुवीक्षण को सुकर बनाते हैं और इसलिए, वित्त लेखे के पूरक हैं। बजट शब्दावली **परिशिष्ट 6** में दी गयी है। बजट तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है।


चार्ट 3.1: बजट प्रक्रिया



सीएसएस: केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं; सीएस: केन्द्रीय योजनाएं

बजट 2020-21 के विभिन्न घटक चार्ट 3.2 में चित्रित किये गये हैं:-

चार्ट 3.2: बजट के घटक



स्रोत: बजट नियमपुस्तिका और विनियोग लेखाओं में वर्णित प्रक्रिया पर आधारित

3.1.1 वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और बचतों का सार

वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/ आधिक्य को, आगे इनके दत्तमत/प्रभारित द्विभाजन सहित एक सारांशीकृत स्थिति में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
1,00,254.92	33,340.81	56,782.00	40,004.29	(-)43,472.92	(+)6,663.48

3.1.2 प्रभारित और दत्तमत संवितरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹1,00,254.92 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹56,782.00 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹43,472.92 करोड़ की बचत हुई। हालांकि, प्रभारित अनुभाग के अंतर्गत ₹33,340.81 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹40,004.29 करोड़ का व्यय किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान, ₹6,663.48 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह अभिनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के अनुरूप है और प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय, उतना ही प्रभारित किया गया है। इससे यह भी अभिनिश्चित किया जाता है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और अनुदेशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की एकरूपता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

जेएण्डके पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुरूप विनियोग के अंतर्गत विधि द्वारा पारित किये जाने के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान बजटीय प्रावधानों के बिना 53 योजनाओं/ उपशीर्षों के अंतर्गत 16 अनुदानों (*परिशिष्ट 3.1*) में ₹6,714.34 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.3.2 पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति वाले व्यय का वर्गीकरण या विलोमतः

राजस्व प्रकृति वाले व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विलोमतः वर्गीकरण का परिणाम राजस्व व्यय और राजस्व घाटे/अधिशेष के अधिक आंकलन/कम आंकलन के रूप में हुआ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय के ₹189.81 करोड़ की राशि, जैसा नीचे विवरण दिया है, व्यय के पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संवितरित की गयी थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूँजीगत व्यय का अधिक आंकलन और राजस्व व्यय का कम आंकलन किया गया तथा ₹189.81 करोड़ की सीमा तक राजस्व घाटा हुआ।

तालिका 3.2: पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति वाले व्यय का वर्गीकरण

क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	गलत वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	4210, 4225, 4401 एवं 4515	पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान	61.59
2.	4235	पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया वेतन	0.17


क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	गलत वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
3.	4401, 4402 एवं 5055	पूँजीगत व्यय के रूप में बुक सहायिकी	128.05
		कुल	189.81

3.3.3 अनावश्यक या अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किये गये प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिये जा सकते हैं।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक को शामिल करते हुए 11 मामलों में प्राप्त कुल ₹12,393.19 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आयाथा जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित है। दूसरी ओर, अनुदान 08-वित्त विभाग, (प्रभारित पूँजी) में ₹520.85 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं **(चार्ट 3.3)** था।

चार्ट 3.3: अनावश्यक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: वित्त लेखे.

सरकार बृहत् बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए यथार्थवादी बजट अनुमानों को तैयार करने पर विचार कर सकती है।

3.4 महत्त्वपूर्ण बचतें

जेएण्डके बजट नियम पुस्तिका के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को जब भी होने वाली बचतों का पूर्वानुमान हो तो, अनुदानों/विनियोगों या उसका भाग वित्त विभाग

को अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2021 को 34 अनुदान थे जिनमें रुदस करोड़ और उससे अधिक की बचतें हुई थी, जिसमें 30 अनुदान शामिल थे जिनमें रु100 करोड़ और उससे अधिक की बचत देखी गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान बचतों की प्रतिशतता अनुदान के कुल विनियोग के 17 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच रही थी। हालांकि, संबंधित विभागों द्वारा बचतों के पूर्वानुमान में कोई अभ्यर्पण नहीं किया गया था। इन मामलों में बचतें रु41,846.32 करोड़ के आदेश की थी। प्रासंगिक विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाये गये हैं। उपर्युक्त बचतों में पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत विभागों द्वारा रु31,927.59 करोड़ की राशि के 25 अनुदानों में रु100 करोड़ और उससे अधिक की बृहत् बचतें भी शामिल हैं, यह इंगित करता है कि सरकार विकासात्मक गतिविधियों/परिसंपत्तियों के सृजन के लिए चिह्नित निधियों का उपयोग नहीं कर सकी। वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचतें अनुदान के कुल विनियोग के 19 प्रतिशत और 99 प्रतिशत के बीच रही।

3.4.1 प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधान की उपयोगिता का प्रतिशत


अनुदानों की उपयोगिता की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि 35 अनुदानों में से, 34 अनुदानों में, उपयोगिता 20 प्रतिशत और 83 प्रतिशत के बीच रही। शेष एक अनुदान में 11 प्रतिशत की अधिक उपयोगिता रही जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विवरण दिया गया है। इन विभागों द्वारा बचतें (कम उपयोग) सरकार द्वारा योजनाओं/निर्माण कार्यों की गैर-प्राथमिकता का सूचक है या संबंधित विभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में अकुशलता है। इस अवधि के दौरान विभागों द्वारा बजट प्रावधानों से अनुदानों का अधिक उपयोग व्यय आधिक्य किये जाने को इंगित करता है जिसे विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

3.4.2 बचतों की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम 5 अनुदानों में रु8,185.68 करोड़ की राशि की 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, 12 अनुदानों में रु6,916.29 करोड़ की राशि की 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और 11 अनुदानों में रु9,878.17 करोड़ की राशि की 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत और 6 अनुदानों में रु16,866.19 करोड़ की राशि की 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की बचतों को दर्शाता है।

विभागों द्वारा अनुदानों का कम उपयोग इंगित करता है कि सरकार नियोजित प्रयोजनों हेतु चिह्नित निधियों का उपयोग नहीं कर सकी।

चार्ट 3.4: प्रत्येक समूह में ₹ करोड़ में कुल बचतों सहित बचतों की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/ विनियोगों की संख्या का वितरण



3.5 शून्य व्यय के साथ अनुदान

139 योजनाओं को शामिल करते हुए 25 अनुदानों के अंतर्गत ₹18,134.91 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में विवरण दिया गया है, वर्ष के दौरान अनुपयोगी रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा। प्रावधान को उन योजनाओं/कार्यों में पुनर्प्रभाजित किया जा सकता था जहाँ प्रावधान पर आधिक्य व्यय था।

3.5.1 नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर आधिक्य

जेएण्डके पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 43 के अनुसार, विनियोग के अंतर्गत इस धारा के प्रावधानों सहित विधि द्वारा पारित किए जाने के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अनुदान संख्या 08 (वित्त विभाग) में पूँजीगत प्रभारित अनुभाग के अंतर्गत ₹7,094.29 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय किया गया है।

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा ₹3,875.61 करोड़ की राशि जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में विवरण दिया गया है, का आधिक्य व्यय भी किया गया था। यह अनियमितता उक्त धारा का उल्लंघन है और 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित कुल ₹10,969.90 करोड़ की राशि को नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

3.5.2 तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण

वर्ष 1980-81 से विनियोग लेखाओं पर पीएसी में चर्चा नहीं की गयी थी तथा वर्ष 1980-81 से 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 तक) के लिए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित कुल ₹1,24,004.41 करोड़ के व्यय आधिक्य को अभी तक नियमित किया जाना है जैसाकि **परिशिष्ट 3.7** में विवरण दिया गया है। ऐसी विस्तारित अवधि के लिए शेष अनियमित आधिक्य व्यय बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को निष्फल करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

3.6 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दी गई सहायता, दान या अंशदानों की प्रकृति में भुगतान हैं। परिसंपत्तियों के निर्माण सहित किसी संस्थान को सहायता देने के विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

आईजीएस 2 के अनुसार, ऐसे मामलों, जहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, के अतिरिक्त अनुदानकर्त्ता द्वारा अनुदानग्राही को संवितरित सहायता अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखाबद्ध किया जाएगा, चाहे वह उद्देश्य कुछ भी हो जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में वितरित की गई धनराशि को अनुदानग्राही द्वारा खर्च किया जाना है। यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में जीआईए की बुकिंग हुई जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: पूँजीगत व्यय के रूप में जीआईए के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)	
मद	2020-21
पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया जीआईए	61.59
कुल पूँजीगत व्यय	10,470.38
पूँजीगत व्यय में जीआई का अंश (प्रतिशत में)	0.59
राजस्व घाटा (-)/ राजस्व बचत (+)	(-)/138.27
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+), यदि जीआईए से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाए।	(-)/199.86

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 तक की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में जीआईए के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा ₹61.59 करोड़ तक कम आंका गया।

3.7 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.7.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

जम्मू एवं कश्मीर बजट नियमपुस्तिका उपबंध करती है कि "एकमुश्त प्रावधान, यदि आवश्यक हो तो केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। संक्षेप में, बजट में एकमुश्त प्रावधानों के समावेशन को अपवाद रूप में लें तथा नियम के रूप में इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए।" व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता के विरुद्ध हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹7,596.38 करोड़ का एकमुश्त बजटीय प्रावधान, जो कि अनुदान के ₹45,535.59 करोड़ के कुल प्रावधान का 17 प्रतिशत है, नियंत्रण अधिकारियों के पास जेएण्डके बजट नियमपुस्तिका के उल्लंघन में विस्तृत शीर्ष-वार/योजना-वार प्रावधानों की अपेक्षा तीन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत अनुदान संख्या 08 (वित्त विभाग) में रखा गया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	एमएच	प्रावधान	व्यय	अनुदान में कुल प्रावधान	अनुदान के कुल प्रावधान हेतु एकमुश्त प्रावधान की प्रतिशतता
8	वित्त विभाग	2071-पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,297.29	8,008.92	45,535.59	17 प्रतिशत
		2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण	6.91	4.54		
		2049- ब्याज भुगतान	292.18	1,052.96		
		कुल	7,596.38	9,066.42		

3.8 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.8.1 बजट प्रक्षेपण और अनुमान तथा वास्तविक के मध्य अंतर

वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय के लिए कुल प्रावधान ₹1,33,595.72 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹96,786.29 करोड़ (72 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 की अवधि के दौरान ₹36,809.94 करोड़ की बचत हुई। वर्ष

2020-21 के दौरान 35 अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका 3.5: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च 2021 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	55,670.39	1,669.39	57,339.78	46,208.14	(-)11,131.64	शून्य	शून्य
	II. पूँजीगत	34,408.04	8,399.20	42,807.24	10,487.22	(-)32,320.02	शून्य	शून्य
	III. ऋण एवं अग्रिम	107.90	0.00	107.90	61.64*	(-)46.26	शून्य	शून्य
	कुल	90,186.33	10,068.59	1,00,254.92	56,757.00	(-)43,497.92	शून्य	शून्य
प्रभारित	IV. राजस्व	6,993.48	-121.70	6,871.78	6,440.97	(-)430.81	शून्य	शून्य
	V. पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य	शून्य
	VI. लोक ऋण- पुनर्भुगतान	25,948.18	520.85	26,469.03	33,563.32	7,094.29	शून्य	शून्य
	कुल	32,941.66	399.15	33,340.81	40,004.29	6,663.48	शून्य	शून्य
आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	शून्य	शून्य
	कुल योग	1,23,127.98	10,467.74	1,33,595.72	96,786.29	(-)36,809.44	शून्य	शून्य

स्रोत: विनियोग लेखे *एवं वित्त लेखे खण्ड-1 (विवरण-7)

अनुदानों में बचतें, अनुदानों के अधिक निर्धारण का संकेत है जिसके परिणामस्वरूप बचतें हुई हैं। इसके अलावा, अवधि के दौरान कुछ विभागों में अत्यधिक बचतें अन्य विभागों के निधियों से वंचित होने का संकेत है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं और निधियों (बचतों) का गैर-अभ्यर्पण जेएण्डके बजट नियमपुस्तिका के अनुदेशों का उल्लंघन है।

3.8.2 व्यय की बहुलता

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 62(3) में उपबंधित है कि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की बहुलता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, चार अनुदानों के संबंध में, वर्ष के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2021 के दौरान ही किया गया है और व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का 56 और 64 प्रतिशत के बीच रहा। इसी प्रकार, सात अनुदानों में वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वर्ष की अंतिम

तिमाही के दौरान किया गया है और व्यय का प्रतिशत 57 प्रतिशत और 76 प्रतिशत के बीच रहा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.6: अकेले मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय सहित अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान का नाम	व्यय				कुल	चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशता	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशता
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही				
1.	3	योजना एवं विकास विभाग	30.55	52.09	93.76	399.29	575.69	69.36	340.08	59.07
2.	19	आवास एवं शहरी विकास विभाग	415.74	21.36	218.35	869.11	1,524.56	57.01	851.79	55.87
3.	20	पर्यटन विभाग	20.98	27.66	31.85	106.49	186.98	56.95	84.51	45.20
4.	29	परिवहन विभाग	25.38	18.46	22.98	118.40	185.22	63.92	108.49	58.57
5.	30	जनजातीय मामले विभाग	3.87	6.19	16.00	47.57	73.63	64.61	34.96	47.48
6.	32	उद्यान कृषि विभाग	27.07	32.26	48.75	189.60	297.68	63.69	129.85	43.62
7.	35	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	2.40	2.63	3.02	25.67	33.72	76.13	21.64	64.18

3.9 चयनित अनुदानों की समीक्षा

35 अनुदानों में से नमूना जाँच किये गये दो अनुदानों (अनुदान संख्या: 06 विद्युत विकास विभाग और अनुदान संख्या: 08 वित्त विभाग) की बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिये गये हैं।

3.9.1 अनुदान संख्या 06: विद्युत विकास विभाग

तालिका 3.7: अनुदान संख्या 06 के अंतर्गत बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष		बजट आबंटन			बुक किया गया व्यय	आधिक्य/ बचत
			मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल		
1	2801	विद्युत	3,968.98	-201.27	3,767.71	2,812.84	-954.87
कुल राजस्व दत्तमत			3,968.98	-201.27	3,767.71	2,812.84	-954.87

2	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,522.90	10,110.74	13,633.65	589.57	-13,044.07
कुल पूँजीगत दत्तमत			3,522.90	10,110.74	13,633.65	589.57	-13,044.07
कुल			7,491.88	9,909.47	17,401.35	3,402.41	-13,998.94

(i) अनुदान के अंतर्गत ₹17,401.35 करोड़ के कुल आबंटन के प्रति, केवल ₹3,402.41 करोड़ का व्यय बुक किया गया था और वर्ष के दौरान ₹13,998.94 करोड़ (80 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रही जो इंगित करता है कि विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान अयथार्थवादी बजट प्रावधान किये परिणामस्वरूप, राजस्व दत्तमत में ₹954.87 करोड़ और पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹13,044.07 करोड़ की बचत हुई।

(ii) आठ योजनाओं (**परिशिष्ट 3.8**) में ₹12,037.22 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।

(iii) वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, 12 मामलों (**परिशिष्ट 3.9**) में ₹1,960.81 करोड़ की बचत संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्पित नहीं की गयी थी। अनुदानों में बचत, अनुदानों के अधिक निर्धारण का संकेत है जिसके परिणामस्वरूप बचत होती है और निधियों (बचतों) का गैर-अभ्यर्पण भी संघ शासित क्षेत्र बजट नियमपुस्तिका के अनुदेशों का उल्लंघन है।

3.9.2 अनुदान संख्या 08: वित्त विभाग

तालिका 3.8: अनुदान संख्या 08 के अंतर्गत बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बजट आबंटन			बुक किया गया व्यय	आधिक्य/ बचत
		मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल आबंटन		
1	राजस्व (दत्तमत-प्रभारित)	15,604.72	1,245.80	16,850.52	16,188.68	-661.84
2	पूँजीगत (दत्तमत-प्रभारित)	31,147.50	-2,462.43	28,685.07	34,358.79	5,673.72
3	आकस्मिकति निधि के लिए विनियोग	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	कुल	46,752.22	-1,216.63	45,535.59	50,572.47	5,036.88

(i) अनुदान के अंतर्गत ₹45,535.59 करोड़ के कुल आबंटन के प्रति, ₹50,572.47 करोड़ का व्यय बुक किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,036.88 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जो इंगित करता

है कि विभाग ने अयथार्थवादी बजट प्रावधान किये हैं जिसके परिणामस्वरूप दत्तमत/प्रभारित राजस्व में ₹661.84 करोड़ की बचत हुई है तथा पूँजीगत दत्तमत/प्रभारित अनुभाग में ₹5,673.72 करोड़ का आधिक्य हुआ। आकस्मिकता निधि में विनियोग के कारण ₹25 करोड़ का अधिक व्यय हुआ है।

- (ii) वर्ष 2020-21 के दौरान बिना बजटीय प्रावधानों के 40 योजनाओं/उपशीर्षों (परिशिष्ट 3.10) के अंतर्गत ₹9,892.76 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था जिसे नियमित किये जाने की आवश्यकता है।
- (iii) 14 योजनाओं, जैसा कि (परिशिष्ट 3.11) में विवरण दिया गया है, में ₹2,656.07 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जन साधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।
- (iv) वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, 43 मामलों (परिशिष्ट 3.12) में ₹3,561.38 करोड़ की बचत संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्पित नहीं की गई थी। अनुदानों में बचतें, अनुदानों के अधिक निर्धारण का संकेत है जिसके परिणामस्वरूप बचतें होती हैं और निधियों (बचतों) का गैर-अभ्यर्पण भी बजट नियमपुस्तिका के अनुदेशों का उल्लंघन है।
- (v) वर्ष 2020-21 के दौरान दो योजनाओं (परिशिष्ट 3.13) में ₹1,384.25 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया है जिसे नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

3.10 निष्कर्ष

- बजट का समग्र उपयोग वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान और विनियोग की कुल राशि से 27 प्रतिशत कम था। बजटीय आबंटन अयथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 35 अनुदानों में से, 25 अनुदानों में, पूँजीगत अनुभाग में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें थीं।
- दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹1,00,254.92 करोड़ के उपलब्ध प्रावधान के प्रति, ₹56,782.00 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹43,472.92 करोड़ की बचत हुई, जबकि प्रभारित अनुभाग के अंतर्गत ₹33,340.81 करोड़ के प्रावधान के प्रति, ₹40,004.29 करोड़ का व्यय किया

गया था जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान ₹6,663.48 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

- 2020-21 के दौरान बजटीय प्रावधानों के बिना 16 अनुदानों में 53 योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत ₹6,714.34 करोड़ की राशि व्यय की गयी थी।
- 11 मामलों में प्राप्त कुल ₹12,393.19 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, जिसमें वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या अधिक शामिल थे, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया था।
- 31 मार्च 2021 तक 34 अनुदानों में, ₹दस करोड़ और उससे अधिक की बचत देखी गयी थी, जिसमें 30 अनुदान शामिल थे जिनमें ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचतें देखी गयी थी।
- वर्ष के दौरान 25 अनुदानों के अंतर्गत ₹18,134.91 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान, जिसमें 139 योजनाएं शामिल थी, अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।
- अनुदान संख्या 06- विद्युत विकास विभाग की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुदान के अंतर्गत ₹17,401.35 करोड़ के बजट/विनियोग के प्रति, केवल ₹3,402.41 करोड़ का व्यय बुक किया गया था और ₹13,998.94 करोड़ की राशि 2020-21 के दौरान अव्ययित रही। यह दर्शाता है कि बजट अनुमान या तो अयथार्थवादी रूप से बनाये गये थे या विभाग ने अवधि के दौरान राशि का संवितरण नहीं किया था और बचतें भी अभ्यर्पित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, आठ योजनाओं में ₹12,037.22 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण को अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा।
- अनुदान संख्या 08- वित्त विभाग की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुदान के अंतर्गत ₹45,535.59 करोड़ के कुल आबंटन के प्रति ₹50,572.47 करोड़ का व्यय बुक किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,036.88 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जो इंगित करता है कि विभाग ने अयथार्थवादी बजट प्रावधान किये जिसके परिणामस्वरूप राजस्व दत्तमत/

प्रभारित में ₹661.84 करोड़ की बचत हुई और पूँजीगत दत्तमत/प्रभारित अनुभाग में ₹5,698.72 करोड़ की अधिकता हुई।

- बजटीय प्रावधानों के बिना 40 योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत ₹9,892.76 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था।
- वर्ष के दौरान 14 योजनाओं को शामिल करते हुए ₹2,656.07 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
- 43 मामलों में, विभाग द्वारा ₹3,561.38 करोड़ की बचत अभ्यर्पित नहीं की गयी थी।
- वर्ष 2020-21 के दौरान दो योजनाओं में ₹1,384.25 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया था।

3.11 अनुशंसाएं

1. सरकार को अपनी बजटीय धारणाओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचतों/ आधिक्य व्यय में कटौती के लिए कुशल नियंत्रण क्रियाविधि सुनिश्चित करनी चाहिए।
2. अनुमोदित अनुदानों से अधिक व्यय आधिक्य को यथाशीघ्र नियमित किया जाए।
3. सरकार वर्ष के अंत में व्यय की बहुलता से बचने के लिए वित्तीय अनुवीक्षण के सुदृढ़ीकरण पर विचार कर सकती है।
4. बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखे तैयार करने को सुकर बनाने के लिए आबंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने हेतु नियंत्रण अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व से अवगत कराने की आवश्यकता है।